□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित **प्रश्न** □ख□□: 3293
12 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

ग्रामीण क्षेत्रों म स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

3293. **श्री□ □□□ □ट्टू□**

क□□ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों म सरकारी अस्पतालों म पयाप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए ह; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>□त्त□</u>

स□□स्थ्□ और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □□श्वि□□ □□□□□ □□□)□

(क) और (ख): "जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल" राज्य का विषय है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूणदेश म जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर उपयुक्त स्वास्थ्य परिचया सेवा प्रदान करने को प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों को है।

स्वास्थ्य परिचया चुनौतियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों म समाप्त करने के लिए, जन स्वास्थ्य केन्द्रों पर आने वाले सभी व्यक्तियों को पहुँच योग्य, सस्ती एवं गुणवत्तापूण स्वास्थ्य परिचया प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को प्रतिपूर्ति हेतु 2005 म राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) प्रारंभ किया गया था। वतमान म एनआरएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक उप-मिशन है।

एनएचएम के अंतगत इस सहायता म मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवारनियोजन, सावभौमिक प्रतिरक्षण तथा क्षय रोग, एचआईवी, एड्स, वेक्टर वाहित रोग जैसे मलेरिया, डगू और कालाअजार, कुष्ठ रोग आदि जैसे बड़े रोगों से संबंधित निःशुल्क सेवाओं का प्रावधान शामिल है।

अन्य मुख्य पहलों म जननी शिशु सुरक्षा कायक्रम (जेएसएसके) (जिसके अंतगत निःशुल्क औषधियां, निःशुल्क निदान, निःशुल्क रक्त एवं आहार के मामले म घर से संस्था एवं संस्था से घर वापस छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन दिया जाता है), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कायक्रम (आरबीएसके) (जो गुणवत्तापूण उत्तरजीविता म

सुधार के लिए जन्मदोषों, रोगों, खामियों और विकासात्मक विलम्बों के लिए निःशुल्क नवजातएवं बाल स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक क्रियाकल्प संबंधी सेवाएंप्रदान करता है), निःशुल्क औषधि एवं निःशुल्क निदान सेवा पहल का कायान्वयन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कायक्रम और राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवग का कायान्वयन शामिल है।

स्वास्थ्य परिचया को पहुँच म विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों म सुधार लाने के लिए एनएचएम को सहायता से मोबाइल चिकित्सा एकक (एमएमयू) और टेलीमेडिसिन को भी कायान्वित किया जा रहा है।

आयुष्मान भारत के एक भाग के रूप म, सरकार व्यापक प्राथमकि स्वास्थ्य परिचया- जिसम परिचया दृष्टिकोण के कर्नाटनम सहति सामुदायिक स्तर पर निवारक स्वास्थ्य परिचया एवं स्वास्थ्य संवधन शामिल ह, के प्रावधान हेतु स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के रूप म उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को सहायता दे रही है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतगत करीब 10.74 करोड़ कमजोर एवं गरीब परिवारों को प्रतिवष प्रति परिवार 5.00 लाख रु. का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।

जन स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए विशेषज्ञों के नियोजन हेतु राज्यों को लचीले मानदंड अपनानेके लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है इनम एनएचएम के तहत जन सुविधा केन्द्रों पर सेवा प्रदानगी के लिए सरकारी प्रणाली के बाहर विशेषज्ञ सेवाओं और विशेषज्ञों के नियोजन के लिए 'कांट्रैटिग इन और कांट्रैटिग आउट' करना सम्मिलित है।

राज्यों को विशेषज्ञों को आकृष्ट करने के लिए वाता योग्य वेतन का प्रस्ताव करने को भी अनुमति प्रदान को गई है जिसम 'आप बताओ हम भुगतान करगे' जैसी काया नीतियों म लचीलापन शामिल है।

जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर चिकित्सकों और विशेषज्ञों को कमी के मुद्दे के समाधान हेतु मानव संसाधनों के नियोजन के लिए राज्यों को दुगम क्षेत्र भत्ता, काय निष्पादन आधारित प्रोत्साहन देने, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों म आवास तथा परिवहन सुविधाएं प्रदान करने, प्रशिक्षण कायक्रम प्रायोजित करने के लिए वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया जाता है।

****